Title: Requested the Government to take steps regarding proper distribution of government employees in the states of Madhya Pradesh and Chhattisgarh.

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (बालाघाट) : अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के बाद छत्तीसगढ़ राज्य बनने से मध्य प्रदेश में जो कर्मचारी, अधिकारी कार्य कर रहे हैं, उनके विभाजन की जो नीति बनाई गई थी और मापदंड निर्धारित किए गए थे, मध्य प्रदेश की वर्तमान सरकार ने उन मापदंडों का पालन नहीं किया। वहां दो प्रकार के कर्मचारी हैं - एक मध्य प्रदेश की विधान सभा से विभाजित जो छत्तीसगढ़ की विधान सभा में गए हैं और दूसरे जो मध्य प्रदेश की सरकार में काम कर रहे थे, वे छत्तीसगढ़ की सरकार में गए। केन्द्र सरकार ने नीति तय की थी कि विधवा महिलाएं और वे महिलाएं जिनके पति मध्य प्रदेश में हैं, उनको नहीं भेजा जाएगा। मेरी आपके माध्यम से मांग है कि केन्द्र सरकार की जो नीति है, जो मापदंड निर्धारित हुए थे, अगर उनका उल्लंघन हुआ है तो उनमें संशोधन किया जाए। केन्द्र सरकार ने जो लापरवाही बरती है, उच्च न्यायालय में जो कर्मचारी गए थे, केन्द्र सरकार ने अपना पक्ष वहां रखने में विलंब किया। इसलिए उन्हें न्याय नहीं मिल रहा। केन्द्र सरकार ने जो कमेटी बनाई थी, आज की तारीख तक उसने कोई फैसला नहीं किया जिससे विधवा महिलाएं भी छत्तीसगढ़ गई हैं और वे महिलाएं भी जिनके पति मध्य प्रदेश में हैं, वे छत्तीसगढ़ भेज दी गईं। समाचार पत्र लगातार लिख रहे हैं। उनको न न्यायालय से रास्ता मिल रहा है और न समिति फैसला कर रही है। मैं केन्द्र सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि सक्रियता बरती जाए। केन्द्र सरकार की निक्रियता के कारण यह सारी परिस्थिति पैदा हो रही है कि कर्मचारियों को लाभ नहीं मिल रहा, न्याय नहीं मिल रहा। केन्द्र सरकार को निर्देश दें ताकि केन्द्र सरकार के सचिवों के स्तर के अधिकारी न्यायालय में अपना पक्ष रखें और उन्हें न्याय मिले। जो समिति तय हुई है, वह उन नीतियों के बारे में तत्काल फैसला करे ताकि उनकी प्रताड़ना को रोका जा सके।